

2021/21

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	द्वारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
13/21	53, 183, 188 RTM	को. ए. खेड़ी	रवडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
समीम बानो	बनाम	कमर मियां वगै.

वकील :- इ.अ.न. पारी 45 एडवो. आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

22/21
अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 22/3/21 को पेश हो।

22/21
~~आज पी.पी.न. अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 20/4/21 को पेश हो।~~
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

20/21
आज पी.पी.न. अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 25/5/21 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

25/21
आज पी.पी.न. अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 28/6/21 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

28/21
आज पी.पी.न. अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 3/8/21 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

पत्रावली पेज हुई। वकील वादिया एवं वादीया स्वयं
 उप० नहीं हैं। न्यायालय के रुक-रुक कर तीन बार
 आवाज लावाई गई। न्यायालय कार्यवाही स्थगित होने
 तक इंतजार किया गया। कोई उपस्थित नहीं हुए।
 प्रयाग रुक रुक दायरी रुक रुक पैरवी के खारिज किया
 जाता है। पत्रावली जैशमल सुनार होकर साखिल

इफ्तार ^व ~~ह~~